

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

श्री प्रताप

विपक्षी श्री शान्ता

स मुकदमा

जा.प. (56C-212R.T.A.)

प्रकरण संख्या-

06/2018

दिनांक

कार्यवाही विवरण

23/10/24

पत्रावली पेश हुई/वादी-प्रतिवादी उपस्थित
पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/
भ्रमण...~~प्रताप~~ कार्य होने से
पत्रावली दि. 31/12/24 को पेश होवे।

आज्ञा से

D. K. Jha
रीडर

उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर

31/12/24

पत्रा. पेश हुई। क्लीक विपक्षी सं. 130। जर्घीगठा
मय आधीवक्ता अल्लुपासित जिन्हे न्यायालय
समय पर विधित कप से कर-कर मातजे
लगवाई गई उसके उपरान्त श्री जर्घीगठामय
आधीवक्ता वीर-राजि रठमे से जर्घीगठा
का जर्घीगठा-पत्र मन्तर्गत भादेश-39 नियम
1,2 सपाठित धारा-15। जा. दि. व धारा-212
R.T.A. का मदम-राजि व मदम करवी
मे खारिज किया जाता है।

पत्रावली केसल सुमार डेकर दाखिल
दफ्तर है। भादेश खुले न्यायालय में सुनथा
गया।

सहायक कलक्टर सलुम्बर
जिला सलुम्बर